



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1664/Type Approval No. 1664

मद/FOR ITEM: फ्रंट एन्ड रिसीवर (एफईआरएक्स)असेंब्ली पार्ट सं. 1721 000 423 77 /
Front End Receiver (FERx) Assembly Part No. : 1721 000 423 77

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड., आ.ई., नचाराम, हैदराबाद - 500 076, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "फ्रंट एन्ड रिसीवर (एफईआरएक्स)असेंब्ली" पार्ट सं. 1721 000 423 77 को जीए आरेखन सं. 1721000 423 77, इश्यू - 02, दिनांक 22 जनवरी 2009 और ड्रॉइंग इन्डेक्स सं. 1721 000 423 77/एमडीआई, इश्यू-02, दिनांक 23 जनवरी 2009, के अनुसार चेतक और कमोव सीरीज के हेलिकॉप्टर्स के काइट ईएसएम सिस्टम में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर.सी.एम.ए (हैदराबाद) के समन्वय से नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज सं. बीईएल/2009/काइट/एफईआरएक्स/तकनीकी विनिर्देश, इश्यू-01 दिनांक 24 मार्च 2009 और क्वालिफिकेशन टेस्ट प्रोसीजर दस्तावेज सं. बीईएल/2008/काइट/क्यूटीपी/एफईआर, इश्यू-01 दिनांक 12 अगस्त 2008 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Front End Receiver (FERx) assembly" bearing the Part No. 1721 000 423 77 designed, developed & manufactured by "M/s Bharat Electronics Ltd., I.E, Nacharam, Hyderabad - 500 076, is hereby approved for production as per GA Drawing No.1721000 423 77, Issue-02, Dt:22nd Jan 2009 & Drawing Index No.: 1721 000 423 77 /MDI, Issue-02, Dt: 23rd Jan 2009 for use on KITE ESM system on Chetak and Kamov series helicopters. The product has been tested in co-ordination with "RCMA (Hyderabad)" as per Governing Technical Specification document No. BEL/2009/KITE/FERx/Tech. Spec, Issue-01 Dt:24th Mar 2009 and Qualification Test Procedure Document No. BEL/2008/KITE/QTP/FER, Issue-01, Dt: 12th Aug 2008. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन निलंबित या रद्द न होने पर **30 जून 2016** तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संगत दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (हैदराबाद)**, से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th June 2016 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyderabad), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो **सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक)**, बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए **डी.जी.ए.क्यू.ए.**, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष के क्लीयरेंस निकासी एवं दर्शायी गई विधि के स्पष्ट रूप से कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट-‘ए’/Appendix-‘A’

सं/No. : सेमिलेक /CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1664

दिनांक/Date : 23rd June 2011

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

Kanjan
(कांचन बिस्वास/KANCHAN BISWAS)
स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Offg Chief Executive (Airworthiness)

[Signature]
21/06/11

[Signature]
21/6